अनुसूचित जाति की महिलाओं पर लिंग विभेदीकरण का समीक्षात्मक अध्ययन

ऋतु

प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग

रा0स्ना0महा0गोपेश्वर,

जिला चमोली।

अनुसूचित जाति का अर्थ

भारतीय समाज जाति पर आधारित ऊँच–नीच वाला समाज हैं। इस ऊँच–नीच अथवा संस्तरण में सबसे निम्न स्थान अस्पृश्य जातियों का रहा हैं। इन्हे बहिष्कृत जाति भी कहा जाता रहा हैं। गाँधी जी के प्रयासों के परिणामस्वरूप इन्हे हरिजन कहा जाने लगा। परन्तु बाद में इनके लिए संविधान में अनुसूचित जाति शब्द का प्रचलन हो गया।

अनुसूचित जाति की महिलाएं

प्राचीन काल से ही अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति बहुत ही निम्न हैं। उन पर अनेक अत्याचार व शोषण होते रहे हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बहुत ही निम्न रही हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति सामान्य वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा बहुत ही खराब हैं। अनुसूचित जाति मे भी लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ परिवार में असमानता का व्यवहार किया जाता हैं, उन्हे परिवार तथा परिवार के बाहर असमानता का सामना करना पड़ता हैं, जिससे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हैं।

लिंग असमानता

लिंग असमानता का तात्पर्य लिंग के आधार पर महिला और पुरूषों में विभेद से होता हैं।

भारतीय समाज में महिलाओं को दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी यहाँ तक की भारत दे”ा को भी भारत माता के नाम से सम्बोधित किया जाता हैं, परन्तु उनके साथ किसी भी प्रकार से सामनता का व्यवहार नहीं किया जाता। क्योंकि समाज का जो वर्ग जितना ज्यादा परम्परावादी, रूढिवादी और अ”िाक्षित हैं। उसमें महिलाओं की स्थिति उतनी ही खराब हैं महिलाओं को भारतीय समाज में कामवासना की पूर्ति एवं बच्चों का पालन–पोषण करने वाली एक सेविका के रूप में ज्यादा जाना जाता हैं। भारतीय समाज जो कि एक पुरूष प्रधान समाज के रूप में जाना व पहचाना जाता हैं (***पाठक, रामचन्द्र, 2008 : 295***)।

भारतीय समाज जो कि एक पुरूष प्रधान समाज के रूप में जाना व पहचाना जाता हैं। वहाँ पुरूषों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। जबकि महिलाओं को परम्पराओं एवं समाज की दासी माना जाता हैं। उनकी स्वयं की कोई पहचान नहीं होती हैं। उन्हे किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती हैं। उनका समाजीकरण पुरूष प्रधानता को ध्यान में रखकर ही किया जाता हैं।

महिलाओं को न तो किसी प्रकार निर्णय लेने का अधिकार होता हैं ओर न ही घर की चारदीवारी के बाहर की क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार।

समाज में महिलाओं एवं पुरूषों में प्रत्येक क्षेत्र में भेद किया जाता हैं। समाज में महिलाओं के लिये अलग व्यवहार प्रतिमानों का निर्माण किया गया हैं। उनसे आ''ा की जाती हैं कि वे घर की चहारदीवारी में रहकर परिवार के विकास में ही अपना जीवन समर्पित कर दें, उनमें स्वतंत्र विचार करने की क्षमता का विकास ही नहीं किया जाता हैं। महिलाओ के साथ परिवार व परिवार के बाहर असमानता का व्यवहार किया हैं ***(नाटाणी, प्रका''ा नारायण, 2012 : 45–46)।***

अध्ययन के उद्देय

1–अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ होने वाले लिंग भेदभाव का अध्ययन करना।

2–रोजगार के क्षेत्र में होने वाली असमानता का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र

उत्तराखण्ड भारत वर्ष का 27 वर्ष है, जो नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदे''ा से अलग होकर अपने पूर्ण अस्तित्व में आया था। राज्य में 13 जिले है।

प्रस्तुत अध्ययन में पौडी जनपद के कोटद्वार के ग्रामीण क्षेत्र विकास खण्ड दुगड्डा ब्लांक को अध्ययन के लिए चुना गया।

निर्दान

चुने गये दुगड्डा विकास खण्ड मे कुल 100 गांव हैं, प्रथम स्तरो पर दुगड्डा विकास खण्डो मे गांवो की संख्या मे अधिकता को मध्यनजर रखते हुये अनुसूचित जाति के बहुल ऐसे गांवो को चुना गया। जहॉ अधिकतम अथवा सम्पूर्ण जनसंख्या अनुसूचित जाति की हैं, इस प्रकार दुगड्डा विकास खण्ड से ि''ावराजपुर, देवरामपुर, हल्दूखाता तीनों गांव को अध्ययन के लिये सम्मिलित किया गया हैं।

तथ्यों का संकलन

तथ्यो के संकलन के लिए प्राथमिक व द्वितीयक सामग्री का प्रयोग किया गया हैं। प्राथमिक सामग्री के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है तथा द्वितीयक सामग्री संकलन के लिए पुस्तको, सम्बन्धित लेखों, शोध ग्रन्थों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गयी।

तथ्यों का विलेषण

तथ्यों के संकलन के प''चात तथ्यों के वि''लेषण का कार्य प्रारम्भ किया गया। जिसमें तथ्यों के समानता व विभिन्नता के आधार पर अलग–अलग समूहों में वर्गीकृत कर सारणीयन किया गया तथ्यों का सांख्यिकी वि''लेषण व विवेचना भी की गयी हैं। जिसके आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किये गयें।

लिंग भेदभाव की जानकारी पर आधारित विश्लेषण

लिंग भेदभाव का तात्पर्य–लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरूषो में विभेद से होता हैं।

वर्तमान अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं को लिंग भेदभाव की जानकारी है या नही। यह जानने का प्रयास किया गया हैं। जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैं।

लिंग भेदभाव की जानकारी सम्बन्धी विवरण

सारणी–1

क्र0सं0	लिंग भेदभाव के बारे मे जानकारी हैं।	ग्रामीण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	127	84.67
2.	नहीं	23	15.33
	योग	150	100%

तालिका 1 के अनुसार, 84.67% ग्रामीण महिलाएं लिंग भेदभाव के बारे में जानती हैं, जबकि 15. 33% ग्रामीण महिलाओं को लिंग भेदभाव के बारे में जानकारी नही हैं।

लड़के एवं लड़की में भेदभाव व स्नेह पर आधारित विश्लेषण

अनुसूचित समाज में प्रायः लड़को को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता हैं। पुत्र की अपेक्षा पुत्री को हैंय दृष्टि से देखा जाता हैं। लड़कियॉ आर्थिक दृष्टि से माता–पिता को सहयोग करने में सक्षम नही होती एवं लड़कियों के विवाह पर दहेज प्रथा के कारण व्यय अधिक होनें के कारण माता–पिता पुत्री के जन्म को उचित नही मानते हैं (लता, मंजू, 2012:98)।

वर्तमान अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं से लड़की के प्रति व्यवहार जानने का प्रयास किया गया हैं। जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैं।

लड़के व लड़की में भेदभाव सम्बन्धी विवरण

सारणी–2

क्र0सं0	लड़के–लड़की में भेदभाव करती हैं।	ग्रामीण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	04	2.67
2.	नहीं	146	97.33
	योग	150	100%

तालिका 2 के अनुसार 2.67% ग्रामीण महिलाएं लड़के–लड़की में भेदभाव करती हैं, जबकि 97. 33% ग्रामीण महिलाएं लड़के–लड़की में भेदभाव नहीं करती हैं।

लड़के व लड़की की शिक्षा पर समान व्यय पर आधारित विश्लेषण

लड़की परायाधन हैं, इसलिये उसकी शिक्षा व स्वास्थ्य पर धन व्यय करना अपव्यय माना जाता हैं। लड़को पर व्यय करना आवश्यक हैं। लड़का पूर्वजो के लिये पिण्डदान करता हैं, पूर्वजो का नाम आगे चलाता हैं, और बुढ़ापे में सहारा देता हैं, इसलिये लड़के व लड़की की शिक्षा व स्वास्थ्य पर समान व्यय नही किया जाता हैं।

वर्तमान अध्ययन अनुसूचित जाति की महिलाओं में लिंग विभेदीकरण पर आधारित हैं। जिसमें यह जानना सुनिश्चित किया गया हैं, कि अनुसूचित जाति की महिलाएं लड़के व लड़की की शिक्षा में समान व्यय करती हैं, हॉ/नही। जिसका वर्गीकरण अग्रवर्णित तालिका में दिया गया हैं।

लड़के व लड़की की षिक्षा पर समान खर्च सम्बन्धी विवरण

सारणी–3

क्र0सं0	लड़के व लड़की की शिक्षा पर समान खर्च	ग्रामीण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	91	60.67
2.	नहीं	59	39.33
योग		150	100%

तालिका 3 के अनुसार, 60.67% ग्रामीण महिलाएं लड़के व लड़की की शिक्षा पर समान खर्च करती हैं। जबकि 39.33% ग्रामीण महिलाएं लड़के–लड़की की शिक्षा पर समान खर्च नहीं कर पातीं हैं।

पुरूषो के समान महिलाओं के भी आने जानें की स्वतंत्रता सम्बन्धी विश्लेषण–

वर्तमान में महिलाएं नए पेशो को, नए उद्यमो को, नई वृत्तियों को अपना रही हैं। लेकिन फिर भी समाज का परम्परागत संस्थागत ढांचे के कारण उन्हें अपने घर, अपने परिवार, अपने परिवेश में अपेक्षित, उचित एंव महत्वपूर्ण स्थान नही मिल पाया हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद उसे सामाजिक समानता व स्वतंत्रता नही प्राप्त हुए हैं। आज भी परिवारों में महिलाओ को पुरूषो के समान बाहर आने जाने की स्वतंत्रता नही हैं (सिंधी, नरेन्द्र कुमार, 2011:254)।

वर्तमान में अनुसूचित जाति की महिलाओं से पुरूषो के समान बाहर आने जाने की स्वतंत्रता सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गयी हैं। जिसका विवरण निम्न तालिका मे दिया गया हैं।

पुरूष के समान महिलाओं को कहीं भी आने–जाने की स्वतंत्रता सम्बन्धी सूचना पर उत्तरदात्रियों का वर्गीकरण

सारणी–4

क्र0सं0	पुरूषों के समान कहीं भी आने–जाने की स्वतंत्रता	ग्रामीण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	114	76
2.	नहीं	36	24
	योग	150	100%

तालिका 4 के अनुसार, 76% ग्रामीण महिलाओं को पुरूष के समान कही आने–जाने की स्वतंत्रता हैं, जबकि 24% ग्रामीण महिलाओं को पुरूष के समान कही भी आने–जाने की स्वत़ंत्रता नही हैं।

महिलाओं को रोजगार करने की पुरूषो के समान स्वतंत्रता पर आधारित विश्लेषण–

परम्परागत हिन्दू समाज में पुरूष प्रमुख जीविकोपार्जन करने वाला सदस्य रहा हैं और स्त्रियों का कार्य क्षेत्र परिवार की परिधि के अन्तर्गत केन्द्रित रहा हैं।

वर्तमान समय में स्त्रियॉ निरन्तर अधिक संख्या में नौकरी में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। स्त्रियों के रोजगार मे प्रवेश का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ना स्वभाविक हैं, उनके रोजगार में संलग्न होने के कारण न केवल परिवार का आर्थिक स्तर उन्नतशील हुआ हैं, बल्कि स्त्रियों की परिवार में स्थिति भी परिवर्तित हुई हैं (सिंह,महेन्द्र नारायण,1987:110)।

वर्तमान अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया गया हैं कि महिलाओ को पुरूषो के समान रोजगार करने की स्वतंत्रता हैं, हाँ/नही। जिसका विवरण निम्न तालिका मे दिया गया हैं।

रोजगार करनें की पुरूषों के समान स्वतन्त्रता सम्बन्धी विवरण

सारणी–5

क्र0सं0	रोजगार करनें की पुरूषो के समान स्वतंत्रता है।	ग्रामीण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	30	20
2.	नहीं	120	80
	योग	150	100%

तालिका 5 के अनुसार, 20% ग्रामीण महिलाओं को रोजगार करने की पुरूषों के समान स्वतंत्रता हैं जबकि 80% ग्रामीण महिलाओं को रोजगार करने की पुरूष के समान स्वतंत्रता नहीं हैं।

उत्तरदाताओं के पिता/पति/भाई के रोजगार में सहायता पर आधारित विश्लेषण–

महिलाओं के रोजगार में संलग्न होने पर परिवार के सदस्यों का सहयोग भी कम मिल पाता हैं। विशेषकर पति यदि अपनी कार्यशील पत्नी के साथ गृह कार्यो में मदद भी करते हैं, तो हमारे समाज का परम्परागत ढांचा इस प्रकार हैं, जो उन्हें ऐसा करने से रोकता हैं।

वर्तमान अध्ययन अनुसूचित जाति की महिलाओं में लिंग विभेदीकरण पर आधारित हैं। जिसमें महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया गया हैं कि आपके पिता/पति/भाई रोजगार में सहायता करते हैं,हॉ/नही। जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैं।

पिता/पति/भाई रोजगार के क्षेत्र में सहायता सम्बन्धी विवरण

सारणी–6

क्र0सं0	पिता/पति/भाई रोजगार के क्षेत्र मे सहायता करते हैं।	ग्रामीण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	108	72
2.	नहीं	42	28
योग		150	100%

तालिका 6 के अनुसार, 72% ग्रामीण महिलाओं के पिता /पति/भाई रोजगार के क्षेत्र में सहायता करते हैं, जबकि 28% ग्रामीण महिलाएं के पिता/पति/भाई रोजगार के क्षेत्र में सहायता नहीं करते हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं के साथ–साथ भेदभाव अधिक प्रतीत होता हैं।

उत्तरदाताओं को रोजगार के क्षेत्र में परिवार के सदस्यो की अनुमति सम्बन्धी विश्लेषण–

भारतीय समाज पुरूष प्रधान हैं, जिसमें पुरूषो को सभी अधिकार प्राप्त हैं तथा स्त्री को इनसे वंचित रखा गया हैं। किसी भी कार्य करनें में स्त्रियों को परिवार के पुरूष सदस्यो की अनुमति लेनी पड़ती हैं।

वर्तमान अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया गया हैं कि रोजगार में संलग्न होने के लिये परिवार के पुरूष सदस्यो की अनुमति लेने पड़ी थी,हॉ/नही। जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैं।

रोजगार के क्षेत्र में पति/परिवार के किसी सदस्य की अनुमति लेने सम्बन्धी विवरण

सारणी–7

क्र0सं0	रोजगार के क्षेत्र में पति/परिवार के किस सदस्य की अनुमति लेनी पड़ी हैं।	ग्रामीण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	137	91.33
2.	नहीं	13	8.67
योग		150	100%

तालिका 7 के अनुसार, 91.33% ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में पति/परिवार के किसी सदस्य की अनुमति लेनी पड़ी हैं जबकि 8.67% ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में पति/परिवार के किसी सदस्य की अनुमति नहीं लेनी पड़ी।

महिलाओं के रोजगार में संलग्न होने के कारण पारिवारिक वैवाहिक जीवन में कठिनाईयों पर आधारित विश्लेषण–

वर्तमान समय में घर की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करनें के लिये पति और पत्नी दोनो को कार्य करना आवश्यक हो गया हैं। जिससे बाहर जाकर कार्य करने के कारण पत्नी को महिला होने के कारण घर और बाहर दोनो ही क्षेत्रों की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता हैं। महिलाओं को कार्य के दौरान अनेक बार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। वर्तमान अध्ययन में अनुसूचित जाति की महिलाओं से यह जानने का प्रयास किया गया हैं, महिलाओ को रोजगार में संलग्न होने के कारण पारिवारिक वैवाहिक जीवन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं, हॉ/नही। जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैं।

नौकरी/रोजगार में संलग्न होने के कारण पारिवारिक वैवाहिक जीवन के निर्वाह में कठिनाई का सामना करने सम्बन्धी विवरण

सारणी–8

क्र0सं0	नौकरी/रोजगार में संलग्न होने के कारण पारीवारिक वैवाहिक जीवन में निर्वाह में कठिनाईं का सामना करना पड़ता है।	ग्रामीण	
		संख्या	प्रतिशत

1.	हाँ	146	97.33
2.	नहीं	4	2.67
	योग	150	100%

तालिका 8 के अनुसार, 97.33% ग्रामीण महिलाओं को नौकरी रोजगार में संलग्न होने के कारण पारिवारिक वैवाहिक जीवन के निर्वाह में कठिनाई का सामना अधिक करना पड़ता हैं। जबकि 2. 67% ग्रामीण महिलाओं को नौकरी/रोजगार में संलग्न होने के कारण पारिवारिक वैवाहिक जीवन में निर्वाह में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता हैं।

निष्कर्ष

अनुसूचित जाति में पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार अभी भी प्रभाव''ील हैं, आज भी महिलाएं अपने निर्णय लेने में परिवार के सदस्यों पर अधिक निर्भर रहती हैं, महिलाए किसी भी कार्य में निर्णय के लिए स्वतंत्र नही हैं।

अधिकां''ा ग्रामीण महिलाएं पारम्परिक वि''वासों व मूल्यों को लेकर चलती है जिससे महिलाओं को नौकरी/रोजगार में संलग्न होने के कारण पारिवारिक वैवाहिक जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1– नाटाणी, प्रका''ा नारायण एवं ज्योति गौतम, 2012, ''लिंग एवं समाज'' रिसर्च पब्लिके''ान्स नई दिल्ली।

2– पाठक, रामचन्द, 2008 ''सामाजिक समस्याएँ'' प्रकाशन, विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी–1 P. 291–293

3–लता, मंजू, 2012, अनुसूचित जाति का महिला उत्पीड़न, अर्जुन पब्लि''िंग हाऊस, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली।

4–सिंह, महेन्द्र नारायण, 1987, नगरीय परिवे''ा और हिन्दू परिवार बदलते प्रतिमान, विवेक प्रका''ान, 7 यू0ए0 जवाहर नगर, दिल्ली, 110007

5– सिंधी, नरेन्द्र कुमार, 2011, समाज''ाास्त्रीय सिद्धान्त विवेचन एवं व्याख, रावत पब्लिके''ान्स।

Copyright © 2016 *Riitu*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.